




केंद्रीय बजट



केंद्रीय बजट



एक वित्त वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण

अनुच्छेद 112 (भाग V)

- भारत का राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करता है।

भारत के संविधान में कहीं भी 'बजट' शब्द का उल्लेख नहीं है

बजट तैयार करने हेतु नोडल निकाय

- बजट प्रभाग (आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय) नीति आयोग और संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से

स्वतंत्र भारत का पहला बजट वर्ष 1947 में प्रस्तुत किया गया था।

बजट के प्रमुख घटक

- राजस्व और पूंजी प्राप्तियों का अनुमान
- राजस्व बढ़ाने के तरीके और साधन
- व्यय अनुमान
- समाप्त हो रहे वित्तीय वर्ष की वास्तविक प्राप्तियाँ/व्यय (+कमी/अधिशेष)
- आने वाले वित्तीय वर्ष की आर्थिक और वित्तीय नीति

वर्ष 2017 तक, भारत सरकार द्वारा 2 बजट पारित किये जाते थे- रेल बजट और आम बजट

बजट के चरण

- प्रस्तुति
- आम चर्चा
- विभागीय समितियों द्वारा जाँच
- अनुदान मांगों पर मतदान
- विनियोग विधेयक पारित करना
- वित्त विधेयक पारित करना



भारत का संविधान बजट के लिये अन्य कौन-से प्रावधान करता है ?

- राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना:
 - अनुदान की मांग नहीं की जा सकती
 - करारोपण वाला कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है
- कानून द्वारा किये गए विनियोग के अलावा भारत की संचित निधि से कोई धन नहीं निकाला जा सकता
- संसद की भूमिका:
 - धन/वित्त विधेयक (कराधान को शामिल करते हुए) - केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है
 - अनुदान की मांग पर मतदान - राज्यसभा के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है।
 - धन/वित्त विधेयक - 14 दिनों के भीतर राज्यसभा द्वारा लोकसभा को वापिस भेज दिया जाता है।
 - ◆ लोकसभा, राज्यसभा द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकृत/अस्वीकृत कर सकता है।

